

Rousseau: Social Contract Theory

रूसो (Rousseau) राजनीतिक चिन्तन के संविदावाद के युग का अंतिम विचारक है। 17वीं सदी के लगभग सभी राजनीतिक विचारक इसी सोच में आते हैं। परन्तु उनमें से Hobbes तथा Lock ने संविदा सिद्धान्त को एक क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करके इस सिद्धान्त को प्रचुर विचारकों की सोच में प्रसारित की है। 18th Century में Montesquieu ने इस सिद्धान्त की परम्परा को छोड़ दिया था, परन्तु रूसो के दृष्टि में पुनः संविदावाद के दृष्टि में है।

रूसो ने अपने ग्रन्थ सामाजिक अनुबंध (Social Contract) में सामाजिक समझौता सिद्धान्त का विस्तृत उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है:

1. मानव स्वभाव - Hobbes तथा Locke से अलग रूसो मानव स्वभाव का चित्रण करता है। वह मानव स्वभाव को न तो दौलत की तरह क्रूर, अराजक और खाली मानता है और न लोक के अनुसार इसे शांतिप्रिय, परीपकारी और सहयोगी मानता है। रूसो रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं द्वारा चालित था और ये भाव पुरुषत्वता दो थे - प्रेम, आत्मरक्षा तथा लूट की प्रवृत्ति और द्वितीय रूप। रूसो का मानना है कि मानव ने निरन्तर के विचारों से रहित और राज मानना से काम करनेवाला बुद्धिहीन प्राणी था। उसी के शब्दों में वह एक ~~अराजक~~ Noble Savage था।

2. प्राकृतिक अवस्था - मानव स्वभाव के चित्रण की तरह Rousseau प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी Hobbes तथा Locke के विपरीत करता है। रूसो का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन शांत, सरल, संतुष्ट और पुरुषमय था। मानव प्राकृतिक अवस्था में स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करता था। वह अपने वर्तमान से संतुष्ट और मनोबल के प्रति निश्चिन्त था। यह प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था अवश्य थी, पर वह 'उत्कृष्ट जंगली' (Noble Savage) था, उसमें सामान्य मनुष्य के

दुर्गति नहीं है। इस प्रकार आदिम प्राकृतिक अवस्था
आदीनी की। लेकिन अब

गहरी हो, जनसंख्या की बढ़ने के कारण
एकमात्र विनाशिक-नष्टकारी प्रभाव के लिए
जो भी हो, जनसंख्या की बढ़ने
और सभ्यता के विकास के कारण प्राकृतिक
अवस्था दुर्गति हो गई। सभ्यता के विकास के
कारण हम यह भ्रम है, यह भ्रम है के कारण
लोको की सुख-शांति का भ्रम हो गई। व्यक्तिगत
सभ्यता की इस भावना के कारण प्राकृतिक अवस्था
में नीचे संलग्न प्रारम्भ हो गया।

सांसारिक समझौता या अनुमति - हमारे हैं कि
मनुष्य की स्वतंत्रता पर हमारे में बहुत गहरी
भावना है। हमने ही कहा है कि "मनुष्य स्वतंत्र
प्रेम होता है लेकिन वह प्रत्येक क्षण पर अपना स्वतंत्र
मनुष्य अपनी इस स्वतंत्रता की दिशा को अपने
कारण और पुनः स्वतंत्रता की दिशा को प्राप्त करने
के लिए ही सांसारिक समझौते को स्वीकार करता है।

हमारे को सांसारिक समझौता होता है। हमारे को
हमारे को अलग है। हमारे को मानना है कि
"प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता को सभी को
समर्पित करने के लिए किसी को भी व्यक्तिगत रूप
से कुछ भी समर्पित नहीं करता है। अतः कोई
देना बदल नहीं होगा जो वह दूसरों पर उन्हीं
अधिकारों को प्राप्त नहीं करता जो कि वह
अपने पर दूसरों को देता है। इस तरह वह जो
कुछ देता है, उसी के कारण पुनः प्राप्त कर
लेता है और अपनी वस्तुओं की सुरक्षा में हाथ
निकालता है।" हमारे ने इसे आगे बढ़ाकर
इस कहा है कि "जो कुछ समझौते के द्वारा
माना होता है, वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी
भी वस्तु को प्राप्त करने का असीमित अधिकार
हमारे वह जो कुछ पाता है, वह है, सांसारिक
स्वतंत्रता और अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व।
इस प्रकार हमारे के सांसारिक समझौते
व्यक्तिगत के आधार पर हम उनकी विशेषताओं

को विभिन्न रूप में देख सकते हैं।

(i) सम्मेलन किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के बीच न लेकर, व्यक्ति के वैयक्तिक सांप्रदायिक पक्ष को मान्य होगा है। व्यक्ति वैयक्तिक आधार पर जो कुछ सोचा है, वह सांप्रदायिक आधार पर समूह का सदस्य होने के नाते पुनः मान्य नहीं होगा।

(ii) सम्मेलन के व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी, नैतिक, वह 'सामान्य इच्छा' (General Will) के निर्देशों के अनुसार कार्य कर वास्तविक दुष्टि से उसका समर्थन करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है।

(iii) सम्मेलन के 'सामान्य इच्छा' को निर्माण होता है जो कोई शुभ और लोककल्याणकारी कार्य की होती है। वह 'सामान्य इच्छा' ही राज्य की संप्रभु शक्ति की प्रतीक होती है, अतः उसके अनुसार व्यक्ति और राज्य के कार्यों का संचालन होता है।

(iv) सम्मेलन व्यक्ति की द्वािपक्ष में मौलिक अन्तर पैदा कर देता है। व्यक्ति के आचरण को निर्धारित और निर्देशित करनेवाला तब उसकी प्राकृतिक द्वािपक्ष के बजाय उसकी सामाजिक द्वािपक्ष बन जाता है। उसकी यह सामाजिक द्वािपक्ष उसकी न्यायशीलता का प्रतीक होती है। अतः उसका मौलिक व्यक्तिगत हक मौलिक द्वािपक्ष और गरिमा प्राप्त कर लेता है जिसका प्राकृतिक दशा में पूर्ण आभाव था।

(v) हक केवल सामाजिक सम्मेलन का सम्पन्न करता है किसी राजनीतिक सम्मेलन का नहीं। अतः सम्मेलन के किसी राज या शासन-व्यवस्था की स्थापना नहीं होती बल्कि 'सामान्य इच्छा' पर आधारित संप्रभु संपन्न शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। शासन व्यवस्था उसके द्वारा नियुक्त हक सम्पन्न मान्य होती है जिसका उद्देश्य "सामान्य इच्छा" को पूर्णतः प्रदान करना है और उसके निर्देशों के अनुसार कार्य करना है।

जो भी है हक के सम्मेलन सिद्धान्त हक के सामाजिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होती है जिसके अन्तर्गत संप्रभुता संप्रभु समाज में निर्धारित होती है तथा जिसके शासन का संचालन

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होता है।

इसका मतलब है कि कलकत्ता द्वारा परिभाषित सामाजिक समझौते का विधान कड़ा आकर्षक और लोकतंत्रवाद का प्रतीक दृष्टिगत होता है। किन्तु आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि कलकत्ता की प्राकृतिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता को समझौते की विरोधाभासी है। यह सामाजिक प्रगति के विधान का विरोधी है। समझौते को बलवत् की स्थिति हासिल हो जाती है। नागरिक के रूप में वह शासक है और आध्यात्मिक के रूप में प्रजा। आलोचकों का मानना है कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं, उसकी उत्पत्ति में एक समझौता, धर्म, राजनितिक मान्यता की सामाजिक राजनीतिक योजना आदि तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वह किया है। आलोचकों ने तो यह भी कहा है कि कलकत्ता को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार करने के बजाय कर दिया है।

जो भी हो, कलकत्ता के सामाजिक समझौते के विधान का आधुनिक युग के राजनीतिक चिन्तन और इसके विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। समझौते के माध्यम से इसके द्वारा परिभाषित 'सामाजिक इच्छा' के विधान जनतंत्र या जनसहभागिता पर आधारित शासन व्यवस्था के आधुनिक विचार को गहरे रूप से प्रभावित किया है। कलकत्ता का राजनीतिक चिन्तन ही था, जिसने प्रगति की राजनीति को जनतंत्र, समानता और संयुक्तता का नारा प्रदान किया। एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में मान्यता प्राप्त पर कलकत्ता का प्रभाव बेजोड़ रहा है।